यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी ऋटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी के माह 02/2016 से 09/2018 तक के लेखा–अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस0एस0 राणा, श्री देवेन्द्र कुमार दिवाकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री पवन कुमार, लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 29.10.2018 से 05.11.2018 तक श्री आई0के0 जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री नवीन चन्द्र शंखधर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री महेश चन्द, पर्यवेक्षक द्वारा दिनॉक 20.02.2016 से 03.03.2016 तक श्री आई0के0 जुयाल, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी, जिसमें माह 04/2014 से 01/2016 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 02/2016 से 09/2018 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र :**

इकाई के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत 250 से अधिक जनसंख्या वाले असंयोजित बसावटों के संयोजन हेतु कोर नेटवर्क के अनुसार प्रस्ताव प्रेषित किए जाते हैं तथा स्वीकृति के सापेक्ष मोटर मार्ग निर्माण एवं अनुरक्षण से सम्बन्धित समस्त कार्य सम्पादित किए जाते हैं। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र दो विकास खण्डों क्रमशः भटवाडी एवं डुण्डा हैं, जिनमें ग्रामीण मोटर मार्गों का निर्माण एवं अनुरक्षण किया जाता है।

(ii) (अ) विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है :

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवषेष		गैर–स्थापना		स्थापना		गैर–स्थापना		स्थापना	
	गैर–स्थापना	स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015–16	362.54	–	926.38	775.81	235.10	209.31	–	513.11	–	25.79
2016–17	305.63	–	1760.47	1424.80	239.43	202.71	–	641.30	–	36.72
2017–18	381.12	–	2497.88	2077.24	248.60	238.64	–	801.76	–	9.96
2018–19 (9/18)	338.88	–	1203.44	624.55	214.78	134.86	वित्तीय वर्ष प्रगतिरत			

नोट :– बचत की धनराशि यू0आर0आर0डी0ए0, बैक खाते एवं कोषागार को वित्तीय वर्ष के अन्त में समर्पित की गई।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् है :

(` लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015–16	पी0एम0जी0एस0वाई0	0.40	860.56	664.16	–	196.80
2016–17		–	1552.94	1306.09	–	246.85
2017–18		–	2377.99	1932.80	–	445.19
2018–19 (9/18)		–	1175.94	591.26	वित्तीय वर्ष प्रगतिरत	

नोट :– बचत की धनराशि यू0आर0आर0डी0ए0 को समर्पित की गई।

(iii) इकाई को बजट आबंटन योजना हेतु अथोराईजेशन के रुप में यू0आर0आर0डी0ए0 तथा राज्य मद के अन्तर्गत अनुदान संख्या 019 लेखाशीर्षक 2515 के अन्तर्गत ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्राप्त होता है तथा गैर–स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ''ब'' श्रेणी की है। इकाई का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् है:

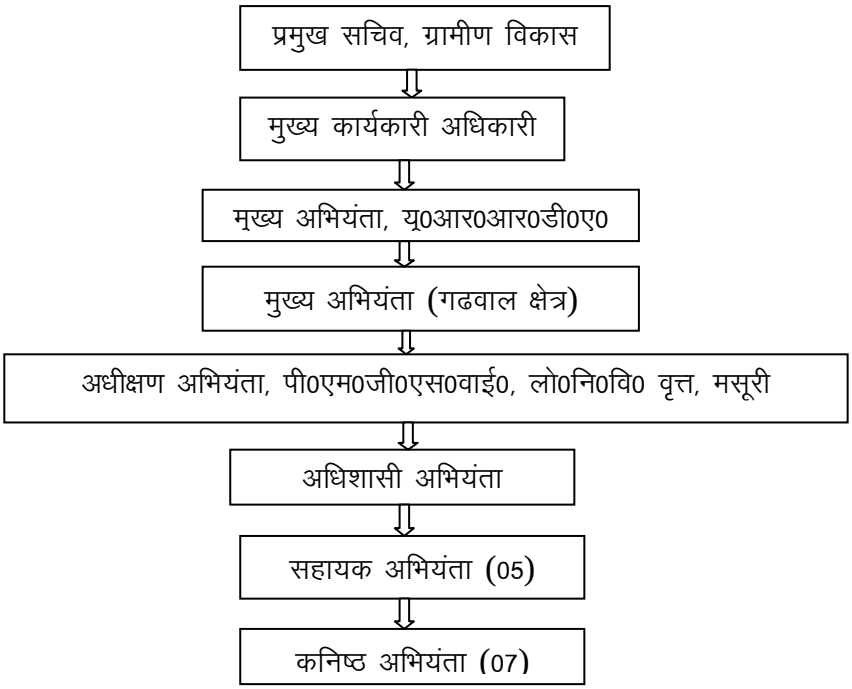

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2017 एवं मार्च 2018 को विस्तृत जॉच हेतु चयन उसके अधिकतम व्यय एवं वित्तीय वर्ष के आधार पर किया गया। इकाई में संचालित निर्माण कार्यों में से 12 निर्माण कार्यों (पूर्ण–09 एवं प्रगतिरत–03) को विस्तृत विश्लेषण जॉच हेतु चयन किया गया। प्रतिचयन माह 09/2018 तक की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 14 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में सितम्बर 2018 में निरीक्षण किया गया।
4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र–संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी नहीं की गई।
5. फार्म 51 माह 09/2018 तक महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष शून्य है।
6. खण्ड के उचंत लेखों के अवशेष के माह 09/2018 के अन्त में : शून्य
7. विगत लेखापरीक्षा से अब तक कोई खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से सम्बद्ध नहीं रहे।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–1: निर्धारित दर–अनुसूची के विपरीत उच्च दर पर भुगतान किए जाने के परिणामस्वरुप ठेकेदारों को रु0 15.32 लाख का अधिक भुगतान।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा–निर्देशिका के पैरा 8.9 एवं 8.10 के प्रावधानों के अनुसार योजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाली सड़कों के विस्तृत आगणन राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण सड़कों के लिए वार्षिक आधार पर निर्धारित राज्य दर–अनुसूची पर आधारित होना चाहिए।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी के एम0डी0आर0–5 के किमी0 5 से किशनपुर मोटर मार्ग से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि मार्ग के स्वीकृत आगणन, अनुबन्धित मद एवं अन्तिम देयक के अनुसार मार्ग की आधार सतह में जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री (Granular sub-base/surface course with local material) की तालिका 400.13 के साथ किया गया था, परन्तु आगणन, अनुबन्ध एवं भुगतान में जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री के साथ आधार सतह की कार्य मद में जो दर ली गई वह विकास खण्ड भटवाडी की तत्कालीन दर–अनुसूची (01.05.2012) के अनुसार उच्च दर की थी। दर–अनुसूची में जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री की दर रु0 331.30 प्रति क्यूमी0 थी, परन्तु जो दर निविदा हेतु अनुबन्ध में ली गई थी उसकी दर रु0 1021.20 प्रति क्यूमी0 उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री (GSB by providing well graded material) की थी। इसी के अनुरुप ठेकेदार द्वारा निविदा आमंत्रण की उच्च दर के आधार पर अपनी दर रु0 1000.00 दी गई। मोटर मार्ग में प्रावधानित एवं प्रयुक्त सामग्री में हुए अधिक भुगतान का विवरण निम्नवत हैः–

कार्य का नाम	निविदा हेतु शिड्यूल "ब" के अनुसार दर	अनुबन्धित /देयक की दर	दर–अनुसूची के अनुसार दर	अनुबन्ध/देयक के अनुसार आधिक्य (3-4)	सम्पादित मात्रा (cum)	अधिक भुगतान (5x6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
एम0डी0आर0–5 के किमी0 5 से किशनपुर	1021.20	1000.00	331.30	668.70	2290.90	**1531924.83**

इसप्रकार, मोटर मार्ग में जी0एस0बी0 स्थानीय सामग्री हेतु निर्धारित दर के विपरीत उच्च दर लिए जाने तथा भुगतान किए जाने पर रु0 15.32 लाख का अधिक भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि कार्य मद की दरें तत्कालीन दर–अनुसूची के अनुसार ली गई जिसकी स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई। खण्ड द्वारा आगणन/अनुबन्ध में स्वीकृत कार्य मद की सामग्री एवं दरों के आधार पर कार्यस्थल पर कार्य सम्पादित एवं भुगतान किया गया। कार्य मद में स्थानीय सामग्री का प्रावधान उच्चाधिकारियों के निर्देश पर किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जिस मद का उपयोग वास्तविक रुप से मोटर मार्ग में प्रयुक्त किया गया उसी मद की दर–अनुसूची की दर से ही ठेकेदारों को भुगतान किया जाना चाहिए था, जो कि इन प्रकरणों में नहीं किया गया।

अतः निर्धारित दर–अनुसूची के विपरीत उच्च दर पर भुगतान किए जाने के परिणामस्वरुप ठेकेदारों को रु0 15.32 लाख के अधिक भुगतान का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–2: बिना भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए रु0 134.40 लाख के अलाभकारी व्यय के साथ रु0 4.77 लाख का अनावश्यक अतिरिक्त व्यय।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की दिग्दर्शिका 2012 के प्रस्तर 6.12 के अनुसार राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी होगी कि प्रस्तावित सड़क निर्माण हेतु प्रस्तावित चौडाई की भूमि उपलब्ध है। उपलब्ध भूमि का विवरण स्थानीय भू–लेख में दर्ज होना चाहिए जिससे कि सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति के उपरान्त तथा निर्माण कार्य के पहले एवं निर्माण कार्य के दौरान कोई विवाद न हो। वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग VI के प्रस्तर 378 के अनुसार किसी भी स्वीकृत मार्ग पर तब तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि स्वीकृत लम्बाई में भूमि उपलब्ध न हो।

भारत सरकार द्वारा नाकुरी से मंगलसेरा–कुन्सी– बरसाली मोटर मार्ग (पैकेज संख्या यू0टी0–13–06) लम्बाई 7.95 किमी0 के निर्माण हेतु फेस–V में रु0 182.37 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी (18.10.2006)। मुख्य अभियंता (गढवाल क्षेत्र) द्वारा स्वीकृत धनराशि रु0 182.37 लाख के सापेक्ष रु0 172.02 लाख की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गई (23.03.2010)। मोटर मार्ग निर्माण हेतु रु0 127.85 लाख का अनुबन्ध संख्या–02/एस0ई0 गठित किया गया (19.04.2010), जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं समापन की तिथियॉ Øमशः 19.04.2010 एवं 18.04.2011 निर्धारित थी, परन्तु कार्य रु0 134.40 लाख व्यय के साथ अपूर्ण था। मोटर मार्ग से मांगलीसेरा, डबरगॉव कुन्सी, सौंधगॉव, बुढारगॉव एवं बरसाली की 1321 जनसंख्या को लाभान्वित किया जाना था।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0 वाई0, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी के नाकुरी से मंगलसेरा–कुन्सी–बरसाली मोटर मार्ग से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जॉच में पाया गया कि खण्ड द्वारा बिना सम्पूर्ण भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए मार्ग के प्रारम्भिक भाग में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया तथा वनभूमि का निपटान न होने के कारण 6.325 किमी0 तक ही मार्ग का निर्माण कर कार्य रोक दिया गया। जिसके परिणामस्वरुप न केवल मोटर मार्ग का निर्माण अनुबन्ध गठन के आठ वर्ष से अधिक समय पश्चात् भी पूर्ण नहीं हो पाया अपितु लक्षित बसावट को भी इतने वर्षों तक आवागमन सुविधा का लाभ नहीं मिल पाया। मोटर मार्ग में हुए सम्पूर्ण घटनाØम का विस्तृत विवरण निम्नवत् हैः–

1. मोटर मार्ग के स्वीकृत संरेखण किमी0 6.325 से किमी0 7.950 के मध्य पडने वाली 5.355 है0 वनभूमि की विधिवत स्वीकृति पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिनॉक 23.10.2009 में प्रदान की गई थी, परन्तु खण्ड द्वारा वनभूमि पर खडे वृक्षों के छपान एवं पातन किए जाने से पूर्व ही मोटर मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ (19.04.2010) कर दिया गया तथा किमी0 6.325 तक निर्माण पूर्ण (31.03.2015) होने के उपरान्त वनभूमि विवाद के निपटान न हो पाने के कारण रोक दिया गया।
2. वृक्षों के पातन न होने एवं विवाद निपटान में विलम्ब के कारण ठेकेदार द्वारा अनुबन्धित दरों में अवशेष कार्य करने से इन्कार कर दिया, जिस पर खण्ड द्वारा अवशेष लम्बाई 1.625 किमी0 में होने वाले कार्यों हेतु वर्तमान दरों पर उसी अनुबन्धित ठेकेदार से कार्य करवाने का निर्णय लिया गया (07.06.2015) तथा आगणन रु0 95.24 लाख गठित कर उच्चाधिकारियों को प्रेषित (19.05.2015) कर स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्यस्थल पर कार्य पुनः प्रारम्भ कर दिया गया। यू0आर0आर0डी0ए0 द्वारा प्रेषित आगणन रु0 95.24 लाख के सापेक्ष रु0 33.82 लाख व्यय किए

जाने की अनुमति प्रदान की गई तथा निर्देशित किया गया कि अवशेष राशि रु0 61.42 लाख को राज्य मद से स्वीकृति किया जाएगा (29.04.2016)।

3. राज्य मद की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण ठेकेदार द्वारा अवशेष निर्माणाधीन लम्बाई 1.625 किमी0 के सापेक्ष मात्र 625 मी0 में निर्माण पूर्ण कर पुनः कार्य बन्द कर दिया गया (07.08.2016)। जिसके पश्चात् उच्चाधिकारियों के निर्देश पर अनुबन्ध का अन्तिमीकरण किया गया। इसप्रकार, मोटर मार्ग में कुल स्वीकृत लम्बाई 7.950 के सापेक्ष खण्ड द्वारा 6.950 किमी0 तक निर्माण कार्य पूर्ण (07.08.2016) कर अवशेष 1.00 किमी0 में कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया, जिस हेतु आगणन रु0 128.70 लाख पुनः प्रेषित किया गया (09.11.2017), जिसकी स्वीकृति वर्तमान तक अपेक्षित है।
4. कार्य को अविलम्ब पूर्ण करने के उद्देश्य से अवशेष लम्बाई 1.625 किमी0 में कार्यों को वर्तमान दरों पर स्वीकृत किए जाने के बावजूद भी लक्षित बसावट तक सडक मार्ग का निर्माण कार्य अपूर्ण रहा जबकि ठेकेदार को पूर्व अनुबन्धित दरों के विपरीत वर्तमान दरों से रु0 4.77 लाख का अतिरिक्त भुगतान किया गया, फिर भी लक्षित बसावट तक मोटर मार्ग का निर्माण नहीं किया गया। वर्तमान दरों पर किए गये कार्य मदों का विवरण निम्नवत् हैः–

Ø0 सं0	मद का नाम	पूर्व अनुबन्धित दर	वर्तमान भुगतान की दर	दर में अन्तर	सम्पादित मात्रा	धनराशि
1.	Excavation in foundation	21.87	278.50	256.63	184.54	47358.50
2.	RR stone massonary laid 1:5	1575.88	3561.50	1985.62	118.65	235593.81
3.	RR stone massonary laid dry	836.80	1933.80	1097.00	307.88	337744.36
4.	Hand packed stone	525.78	684.60	158.82	59.86	9506.97
5.	Edge stone	28.07	87.00	58.93	120.00	7071.60
6.	Boulder Appron	2017.40	2117.90	100.50	337.50	33918.75
Sub-total :						**671193.99**
(-) below 29%						**194646.26**
Total :						**476547.73**

इसप्रकार, बिना सम्पूर्ण भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए कार्य प्रारम्भ किए जाने तथा समय–समय पर लिए गये अविवेकपूर्ण निर्णयों के परिणामस्वरुप न केवल मोटर मार्ग में रु0 134.40 लाख व्यय किए जाने के बावजूद भी लक्षित बसावट बरसाली की 745 जनसंख्या को मोटर मार्ग के लाभ से विगत आठ वर्षों से अधिक समय से बंचित होना पडा अपितु वर्तमान दरों पर भुगतान किए जाने के बावजूद भी लक्षित बसावट तक मार्ग निर्माण न हो पाने पर रु0 4.77 लाख का अनावश्यक अतिरिक्त व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि (i) वन निगम द्वारा अवशेष वनभूमि के प्रारम्भिक भाग में वृक्षों का पातन किया जा चुका था परन्तु राज्य मद में स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका, (ii) लक्षित बसावट तक सडक मार्ग तैयार हो सके, उच्चाधिकारियों के निर्देश पर वर्तमान दरों पर कार्य करवाया गया एवं (iii) उच्चाधिकारियों को धनराशि स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके प्राप्त होते ही कार्य पुनः प्रारम्भ कर लिया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि योजना स्वीकृति के आठ वर्ष पश्चात् भी लक्षित बसावट सडक मार्ग सुविधा से बंचित थी।

अतः बिना भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए रु0 134.40 लाख के अलाभकारी व्यय के साथ रु0 4.77 लाख के अनावश्यक अतिरिक्त व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–3: दिशा–निर्देशों के विपरीत मोटर मार्गों पर रु0 13.04 लाख का अधिक एवं परिहार्य व्यय।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा–निर्देशिका के पैरा 8.9 एवं 8.10 के प्रावधानों के अनुसार योजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाली सड़कों के विस्तृत आगणन राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण सड़कों के लिए वार्षिक आधार पर निर्धारित राज्य दर–अनुसूची पर आधारित होना चाहिए।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी के खालसी लिंक से खालसी गॉव, गंगोरी से नाल्ड एवं एम0डी0आर0–5 के किमी0 65 से किशनपुर मोटर मार्गों से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जॉच में पाया गया कि खालसी लिंक से खालसी गॉव एवं गंगोरी से नाल्ड मोटर मार्गों के आगणन एवं निविदा हेतु शिड्यूल ''ब'' में बिटुमिन कार्य सील कोट ''सी'' ग्रेड बिछाने का प्रावधान किया गया था, परन्तु जो दरें निविदा में ली गई वह दर सील कोट ''ए'' ग्रेड की थी। खण्ड द्वारा सील कोट ''ए'' ग्रेड की दर पर ही निविदा आमंत्रित की गई, जिसके अनुरुप ठेकेदारों द्वारा अपनी दरें दी गई। यदि खण्ड इन मोटर मार्गों में सील कोट ''सी'' ग्रेड की दर–अनुसूची के अनुसार निर्धारित दर पर निविदा करता तो ठेकेदार उसके अनुरुप ही बोली लगाता। अन्तिम देयकों के अनुसार ठेकेदारों द्वारा मोटर मार्गों में सील कोट ''सी'' ग्रेड प्रयुक्त की गई। इस प्रकार, उच्च दर पर निविदा किए जाने के परिणामस्वरुप रु0 11,23,498.73 के परिहार्य व्यय किया गया, जिससे बचा जा सकता था। इसके अतिरिक्त एम0डी0आर0–5 के किमी0 65 से किशनपुर मोटर मार्ग के आगणन में बिटुमिन कार्य सील कोट ''ए'' ग्रेड बिछाने का प्रावधान किया गया था तथा दर (रु0 69.70) भी उसी के अनुरुप ली गई थी। खण्ड द्वारा निविदा हेतु निर्मित शिड्यूल ''ब'' में सील कोट ''ए'' ग्रेड के स्थान सील कोट ''सी'' ग्रेड का प्रावधान कर सील कोट ''ए'' ग्रेड की दर (रु0 69.70) पर निविदा आमंत्रित की गई, जिसके अनुरुप ठेकेदार द्वारा अपनी दर (रु0 69.00) दी गई। यदि खण्ड इस मोटर मार्ग में सील कोट ''सी'' ग्रेड की दर–अनुसूची के अनुसार ही निर्धारित दर (रु0 55.40) पर निविदा करता तो ठेकेदार उसके अनुरुप ही बोली लगाता। अतः उच्च दर पर निविदा किए जाने के परिणामस्वरुप रु0 1,80,169.94 के परिहार्य व्यय किया गया।

इस प्रकार, उच्च दर पर निविदा किए जाने के परिणामस्वरुप रु0 13.04 लाख के परिहार्य व्यय किया गया। जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत हैः–

(धनराशि रुपये में)

कार्य का नाम	दर–अनुसूची में सील कोट "ए" ग्रेड की दर	डी0पी0आर0/प्राविधिक/निविदा में सील कोट "सी" ग्रेड की दर	अनुबन्धित/अन्तिम देयक में सील कोट "सी" ग्रेड की दर	दर–अनुसूची के अनुसार सील कोट "सी" की दर	देयक के अनुसार आधिक्य (4-5)	सम्पादित मात्रा (cum)	अधिक भुगतान (6x7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
खालसी लिंक रोड से खालसी गॉव	67.40 (5-12-B-A-1)	65.90 (5-12-B-A-1)	65.90 (5-12-B-A-1)	51.60 (5-12-B-C-1)	14.30	57896.145	827914.87
गंगोरी से नाल्ड	71.30 (5-12-B-A-1)	69.70 (5-12-B-A-1)	69.70 (5-12-B-A-1)	55.40 (5-12-B-C-1)	14.30	20670.20	295583.86
एम0डी0आर0–5 के किमी0 65 से किशनपुर	71.30 (5-12-B-A-1)	69.70 (5-12-B-A-1)	69.00 (5-12-B-A-1)	55.40 (5-12-B-C-1)	13.60	13247.79	180169.94
योगः–							**1303668.67**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने अपने उत्तर में बताया कि खण्ड द्वारा अनुबन्ध में स्वीकृत कार्य मद की सामग्री एवं दरों के आधार पर कार्यस्थल पर कार्य सम्पादित एवं भुगतान किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जिस मद एवं ग्रेड का उपयोग वास्तविक रुप से मोटर मार्ग में प्रयुक्त किया गया तो उसी ग्रेड की दर से भुगतान किया जाना चाहिए था।

अतः दिशा–निर्देशों के विपरीत मोटर मार्गों पर रु0 13.04 लाख के अधिक एवं परिहार्य व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–4 अनुबन्ध की शर्त के विपरीत बीमा पॉलिसी हेतु कटौती न कर ठेकेदार को रु0 13.91 लाख का अदेय लाभ।

अनुबन्ध की शर्तों (स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट के प्रस्तर 13.1) के अनुसार ठेकेदार कार्य प्रारम्भ करने से लेकर समापन तक काम के नुकसान या क्षति, व्यक्तिगत चोटें और मशीनरी एवं उपकरण के लिए नियोक्ता तथा ठेकेदार के संयुक्त नाम से अपनी लागत पर बीमा कवर करेगा। यदि ठेकेदार बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराने में विफल होता है तो ठेकेदार के देयकों से (i) अनुबन्धित धनराशि का 0.50 प्रतिशत कार्यों, प्लान्ट एवं सामग्री, (ii) अनुबन्धित धनराशि का 0.25 प्रतिशत उपकरण के नुकसान या क्षति एवं (iii) अनुबन्धित धनराशि का 0.25 प्रतिशत अन्य परिसम्पत्तियों हेतु कटौती की जानी चाहिए।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी के चयनित दो प्रगतिरत कार्यों से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि अनुबन्ध की शर्तों (स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट के प्रस्तर 13.1) के अनुसार ठेकेदार द्वारा न तो बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराई गयी एवं न ही खण्ड कार्यालय द्वारा अनुबन्ध के अनुरुप 1.00 प्रतिशत की धनराशि उनके चालू देयकों से कटौती की गई। अतः लेखापरीक्षा जॉच हेतु चयनित 02 प्रगतिरत कार्यों की अनुबन्धित धनराशि रु0 1391.18 लाख के सापेक्ष 1.00 प्रतिशत इंशोरेन्स की धनराशि रु0 13.91 लाख की कटौती नहीं की गई, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	मोटर मार्ग का नाम	निर्माण की स्वीकृत राशि	अनुबन्धित राशि	बीमा कटौती योग्य राशि
1.	धरांसू से तराकोट–जिव्या	1176.29	1029.64	1029640.00
2.	डुण्डा–धनारी से पुजारगॉव–दरमाली	407.32	361.54	361540.00
योगः–		**1583.61**	**1391.18**	**1391180.00**

इसप्रकार, रु0 13.91 लाख की कटौती न किए जाने से न केवल ठेकेदार को वित्तीय लाभ पहुॅचाया गया अपितु मोटर मार्गों में उस हद तक काम के अलावा नुकसान का जोखिम बना रहा जब तक मोटर मार्ग के अनुबन्धों का अन्तिमीकरण न किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता अपने उत्तर में बताया कि ठेकेदार के साथ स्थानीय मजदूर कार्य करते है जो थोडे–थोडे अन्तराल में काम छोड देते हैं, जिस कारण देयकों से बीमा पॉलिसी की कटौती नहीं गयी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुबन्ध की शर्तों (स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट के प्रस्तर 13.1) के अनुसार ठेकेदार द्वारा बीमा पॉलिसी उपलब्ध न कराए जाने पर देयकों से कटौती की जानी चाहिए थी।

अतः अनुबन्ध की शर्त के विपरीत बीमा पॉलिसी हेतु कटौती न कर ठेकेदार को रु0 13.91 लाख के अदेय लाभ पहुॅचाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर–1 संशोधित दर पर रायल्टी की कटौती न किए जाने के कारण रु0 1.63 लाख की राजस्व हानि।

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तरकाशी द्वारा जनपद उत्तरकाशी में उप–खनिज की रायल्टी की दर के सम्बन्ध में निर्गत आदेश संख्या 250/भू0ख0नि0इ0–उ0का0/65ख/खनन–विविध/2016–17 दिनॉक 04.02.2017 द्वारा दिनॉक 10.10.2016 से रु0 154.00 प्रति घनमी0 के स्थान पर रु0 110.11 प्रति घनमी0 कटौती दरें निर्धारित की गई थी।

अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी के लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि प्रखण्ड द्वारा लेखापरीक्षा अवधि में 06 निर्माण कार्यों पर खनिज पदार्थों जैसेः–पत्थर, बालू एवं मिट्टी जो ठेकेदारों द्वारा प्रयोग में लाए गये है, पर उपयोग की गई सामग्री पर रायल्टी संशोधित दरों के आधार पर नहीं की गई। परिणामस्वरुप रु0 1.63 लाख **(संलग्नक–1)** की रायल्टी की वसूली देयकों से निर्धारित दरों से कम दरों पर की गई जबकि रायल्टी की वसूली ठेकेदार द्वारा प्रत्येक देयक से उपयोग किए गये खनिज पदार्थों पर समय–समय पर हुए संशोधनों के आधार पर की जानी चाहिए थी। रायल्टी की कम वसूली किए जाने से न केवल ठेकेदार को अदेय लाभ पहुॅचाया गया अपितु राज्य सरकार को भी रु0 1.63 लाख के राजस्व से बंचित किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने अपने उत्तर में बताया कि रायल्टी की संशोधित दर का आदेश विलम्ब से प्राप्त होने के कारण उस अवधि के देयकों में पूर्व दर पर रायल्टी की कटौती की गई। वर्तमान में समस्त देयकों पर संशोधित दर से रायल्टी की कटौती की जा रही है। इंगित देयकों की पुनः समीक्षा की जाएगी तथा यदि उचित हुआ तो आगामी देयकों से वसूली की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रायल्टी की वसूली प्रत्येक देयक से उपयोग किए गये खनिज पदार्थों पर समय–समय पर हुए संशोधनों के आधार पर की जानी चाहिए थी।

अतः संशोधित दर पर रायल्टी की कटौती न किए जाने के कारण रु0 1.63 लाख के राजस्व हानि का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

संलग्नक–1

कार्य का नाम	रॉयल्टी विवरण के अनुसार प्रयुक्त मात्रा		प्रदत्त दर	निर्धारित दर	दरों में अन्तर	वसूली गई धनराशि	वसूली जाने वाली धनराशि	कम वसूल की गई धनराशि
	बिल सं व तिथि	पत्थर बालू ग्रिट						
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
Dharasu Chinyalisaur Jogath to Bagori M/R	69 Dt.28.03.17	539.74	80.00	110.11	30.11	43179.20	59430.77	16251.57
		46.93	90.00	110.11	20.11	4223.70	5167.46	943.76
		0.00	80.00	110.11	30.11	0.00	0.00	0.00
Gajoli to Naugaon Bhankoli M/R	72, 28.03.17	365.60	80.00	110.11	30.11	29248.00	40256.22	11008.22
		60.07	90.00	110.11	20.11	5406.30	6614.31	1208.01
		0.00	80.00	110.11	30.11	0.00	0.00	0.00
Syalna to Sartali M/R	74, 29.3.17	185.00	80.00	110.11	30.11	14800.00	20370.35	5570.35
		30.04	90.00	110.11	20.11	2703.60	3307.70	604.10
		0.00	80.00	110.11	30.11	0.00	0.00	0.00
Cinyalisaur to Kot Bagi M/R	75, Dt. 29.3.17	3504.32	80.00	110.11	30.11	280345.60	385860.68	105515.08
		398.99	90.00	110.11	20.11	35909.10	43932.79	8023.69
		35.53	80.00	110.11	30.11	2842.40	3912.21	1069.81
24M Span Bridge in Km 2 of Nakuri Barsali-Manglisera Kunsi M/R	01, 08.6.17	316.23	80.00	110.11	30.11	25298.40	34820.09	9521.69
		110.68	90.00	110.11	20.11	9961.20	12186.97	2225.77
		0.00	80.00	110.11	30.11	0.00	0.00	0.00
Khalsi to Dadwal Gad M/R	14, 30.06.17	14.92	80.00	110.11	30.11	1193.60	1642.84	449.24
		7.98	90.00	110.11	20.11	718.20	878.68	160.48
		0.00	80.00	110.11	30.11	0.00	0.00	0.00
			Total					**162551.76**

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–।। 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–।। 'ब' प्रस्तर संख्या
99/2011–12	1, 2 एवं 3	–
13/2014–15	1, 2 एवं 3	1, 2 एवं 3 तथा स्टैन 1
195/2015–16	–	1, 2 3, 4 एवं 5

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
99/2011–12	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–1	खण्ड द्वारा अद्यतन अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई।	अद्यतन अनुपालन आख्या के अभाव में प्रस्तर यथावत रहेगा।	
	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–2	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–3	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
13/2014–15	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–1	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–2	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–।। 'अ' प्रस्तर–3	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–1	राज्य मद में रु0 128.70 लाख का आगणन प्रस्तुत किया गया है, जिसकी स्वीकृति प्राप्त होने पर अवशेष लम्बाई में कार्य प्रारम्भ कर लिया जाएगा।	प्रस्तर को वर्तमान लेखापरीक्षा में अद्यतन किया गया है। अतः प्रस्तर निरस्त किए जाने की संस्तुति की जाती है।	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–2	डम्पिंग जोन तक मलवे को ले जाना पर्यावरण की दृष्टि से अति–आवश्यक था।	साक्ष्य प्रस्तुत न किए जाने के कारण प्रस्तर यथावत रहेगा।	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–3	समस्त अस्थाई अग्रिम का समायोजन कर दिया गया है।	समायोजन के साक्ष्य प्रस्तुत न किए जाने के कारण प्रस्तर यथावत रहेगा।	
	स्टैन प्रस्तर–1	कार्यालय द्वारा अद्यतन अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई।	अद्यतन अनुपालन आख्या के अभाव में प्रस्तर यथावत रहेगा।	

195 / 2015–16	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–1	खुरमोला से नागगॉव में अधिक भुगतान रु0 44112.00 की वसूली अन्तिम बीजक से की जाएगी।	वसूली लम्बित रहने के कारण प्रस्तर यथावत रहेगा।	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–2	पेवमेंट डिजाइन की मोटाई आई0आर0सी0 में निर्धारित अभिकल्पन के अनुरुप रखी गई है।	खण्ड के प्रतिउत्तर एवं उपलब्ध साक्ष्य के कारण प्रस्तर निरस्त किए जाने की संस्तुति की जाती है।	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–3	मिट्टी ढुलान का प्राविधान वनभूमि एवं बस्तियों को क्षति से रोकने के लिए अनुबन्ध के प्राविधान के अनुसार ही किया गया है जो कि योजना के अनुसार मान्य है।	खण्ड द्वारा वनभूमि एवं बस्तियों से सम्बन्धित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए। अतः प्रस्तर यथावत रहेगा।	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–4	अवशेष राशि के समायोजन की प्रि∅या गतिमान है।	समायोजन की प्रि∅या गतिमान रहने के कारण प्रस्तर यथावत रहेगा।	
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–5	विगत लेखापरीक्षा के अप्रस्तुत समस्त व्यय वाउचर प्रस्तुत किए गये।	मार्च 2015 के रु0 2,19,641.00 के व्यय वाउचर लेखापरीक्षा सत्यापन हेतु प्रस्तुत न किए जाने के कारण प्रस्तर यथावत रहेगा।	

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

– शून्य –

भाग–V

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–

   (i) 66/एम, 57/एम, 70/एम, 72/एम, 25/एम, 19/एम, 385/एल, 56/एम, 73/एम, 55/एम, 63/एम एवं 59/एम

2. सतत् अनियमितताएः

   (i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	ई0 राज कुमार	अधिशासी अभियंता	19.09.2014 से 04.08.2017
2.	ई0 आर0पी0 सिंह		04.08.2017 से 15.01.2018
3.	ई0 एस0एन0 सिंह		15.01.2018 से 16.08.2018
4.	ई0 राजीव कुमार		16.08.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप–महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र